After studying this chapter you should be able to:

- >understand the concepts of nation and nationalism.
- >acknowledge the strengths and limitations of nationalism.
- >appreciate the need for ensuring a link between democracy and nationalism.

इस अध्याय के अध्ययन-मनन से हम-

- राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणाओं को समझने,
- राष्ट्रवाद की शक्ति और सीमाओं को स्वीकार करने और
- ेलोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद के बीच संबंध सुनिश्चित करने की जरूरत को स्वीकार करने में समर्थ हो सकेंगे।

NATIONS AND NATIONALISM राष्ट्र और राष्ट्रवाद

What then constitutes a nation? A nation is to a great extent an 'imagined' community, held together by the collective beliefs, aspirations and imaginations of its members. It is based on certain assumptions which people make about the collective whole with which they identify. Let us identify and understand some of the assumptions which people make about the nation.

तब वह क्या है, जो राष्ट का निर्माण करता है ? राष्ट बहुत हद तक एक 'काल्पनिक' समुदाय होता है, जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है। यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए गढ़त हैं, जिससे वे अपनी पहचान कायम करते हैं। आइए, हम राष्ट के बारे में लोगों की कुछ मान्यताओं को पहचानने और समझने की कोशिश करें।

Shared Beliefs

Rather, it is to refer to the collective identity and vision for the future of a group which aspires to have an independent political existence. To this extent, nations can be compared with a team. When we speak of a team, we mean a set of people who work or play together and, more importantly, conceive of themselves as a collective group. If they did not think of themselves in this way they would cease to be a team and be simply different individuals playing a game or undertaking a task. A nation exists when its members believe that they उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे belong together.

साझे विश्वास

यह समूह के भविष्य के लिए सामूहिक पहचान और दृष्टि का प्रमाण है, जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षी है। इस मायने में राष्ट की तुलना किसी टीम से की जा सकती है। जब हम टीम की बात करते हैं तो हमारा मतलब लोगों के एसे समूह से है, जो एक साथ काम करते या खेलते हों और इससे भी ज्यादा ज़रूरी है कि वे स्वयं को एकीकृतसमूह मानते हों। अगर वे अपने बारे में इस तरह नहीं सोचते तो एक टीम की उनकी हैसियत जाती रहेगी और वे खेल खेलने या काम करने वाले महज अलग-अलग व्यक्ति रह जाएँगे। एक राष्ट का अस्तित्व तभी कायम रहता है जब एक-दूसरे के साथ हैं।

History

Second, people who see themselves as a nation also embody a sense of continuing historical identity. That is, nations perceive themselves as stretching back into the past as well as reaching into the future. They articulate for themselves a sense of their own history by drawing on collective memories, legends, historical records, to outline the continuing identity of the nation.

इतिहास

दूसरा, जो लोग अपने को एक राष्ट मानते हैं उनके भीतर अपने बारे में बहुधा स्थायी एतिहासिक पहचान की भावना होती है। यानी राष्ट खुद को इस रूप में देखते हैं जैसे वे बीते अतीत के साथ-साथ आगत भविष्य को समेटे हुए हों। वे देश की स्थायी पहचान का खाका प्रस्तुत करने के लिए साझी स्मृतियों, किंवदंतियों और एतिहासिक अभिलेखों की रचना के ज़रिये अपने लिए इतिहासबोध निर्मित करते हैं।

Territory

Third, nations identify with a particular territory. Sharing a common past and living together on a particular territory over a long period of time gives people a sense of their collective identity. It helps them to imagine themselves as one people. It is therefore not surprising that people who see themselves as a nation speak of a homeland. The territory they occupied and the land on which they have lived has a special significance for them, and they claim it as their own. Nations however characterise the homeland in different ways, for instance as motherland, or fatherland, or holy land.

भूक्षेत्र

तीसरा, बहुत सारे राष्ट्रों की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। किसी खास भूक्षेत्र पर लंबे समय तक साथ-साथ रहना और उससे जुड़ी साझे अतीत की यादें लोगों को एक सामूहिक पहचान का बोध देती हैं। ये उन्हें एक होने का अहसास भी देती है। इसीलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो लोग स्वयं को एक राष्ट के रूप में देखते हैं एक गृहभूमि की बात करते हैं। ये लोग जिस भूक्षेत्र पर अपना अधिकार जमाते हैं, जिस जगह रहते हैं, उस पर अपना दावा पेश करते हैं और उसे बहुत महत्त्व देते हैं। राष्ट अपनी-अपनी गृहभूमि का विभिन्न तरीकों से बखान करते हैं। जैसे, कोई इसे मातृभूमि या पितृभूमि कहता है तो कोई पवित्र भूमि।

Shared Political Ideals

Fourth, while territory and shared historical identity play an important role in creating a sense of oneness, it is a shared vision of the future and the collective aspiration to have an independent political existence that distinguishes groups from nations. Members of a nation share a vision of the kind of state they want to build. They affirm among other things a set of values and principles such as democracy, secularism and liberalism. These ideals represent the terms under which they come together and are willing to live together. It represents, in other words, their political identity as a nation.

साझे राजनीतिक आदर्श

चौथा,हालाँकि अपना भूक्षेत्र और साझी एतिहासिक पहचान लोगों में एक होने का बोध पैदा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन भविष्य के बारे में साझा नज़रिया और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत ही वह मूल बात है, जो राष्ट को बाकी समूहों से अलग करती हैं। राष्ट के सदस्यों की इस बारे में एक साझा दुष्टि होती है कि वे किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं। बाकी बातों के अलावा वे लोकतंत्र. धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। असल में ये ही वे शतें हैं जिसके आधार पर वे साथ-साथ आना और रहना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यह विचार राष्ट के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को बताते हैं।

Common Political Identity

That is, democracies need to emphasise and expect loyalty to a set of values that may be enshrined in the Constitution of the country rather than adherence to a particular religion, race or language.

साझी राजनीतिक पहचान

इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में किसी खास धर्म, नस्ल या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की जरूरत होती है। इस मूल्य-समूह को देश के संविधान में भी दर्ज़ किया जा सकता है।

National Self-determination

Nations, unlike other social groups, seek the right to govern themselves and determine their future development. They seek, in other words, the right to selfdetermination. In making this claim a nation seeks recognition and acceptance by the international community of its status as a distinct political entity or state. Most often these claims come from people who have lived together on a given land for a long period of time and who have a sense of common identity.

राष्ट्रीय आत्म-निर्णय

बाकी सामाजिक समूहों से अलग राष्ट अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे आत्म-निर्णय का अधिकार माँगते हैं। आत्म-निर्णय के अपने दावे में राष्ट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से माँग करता है कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दज़े को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। अक्सर एसी माँग उन लोगों की ओर से आती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भू-भाग पर साथ-साथ रहते आए हों और जिनमें साझी पहचान का बोध हो।

Virtually every state in the world today faces the dilemma of how to deal with movements for self-determination and this has raised questions about the right to national self-determination. More and more people are beginning to realise that the solution does not lie in creating new states but in making existing states more democratic and equal. That is, in ensuring that people with different cultural and ethnic identities live and co-exist as partners and equal citizens within the country. This may be essential not only for resolving problems arising from new claims for self-determination but also for building a strong and united state. After all, a nation-state which does not respect the rights and cultural identity of minorities within the state would find it difficult to gain the loyalty of its members.

वस्तुत: आज दुनिया की सारी राज्यसत्ताएँ इस दुविधा में फँसी हैं कि आत्म-निर्णय के आंदोलनों से कैसे निपटा जाए और इसने राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिये हैं। बहुत-से लोग यह महसूस करने लगे हैं कि समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं वरन् वर्तमान राज्यों को अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। समाधान यह सुनिश्चित करने में है कि अलग-अलग सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह सह-अस्तित्वपूर्वक रह सकें। यह न केवल आत्म-निर्णय के नए दावों के उभार से पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वरन् मज़बूत और एकताबद्ध राज्य बनाने के लिए ज़रूरी होगा। जो राष्ट-राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की कद्र नहीं करता उसके लिए अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना मुश्किल होता है।

NATIONALISM AND PLURALISM

Once we abandon the idea of one-culture-onestate, it becomes necessary to consider ways by which different cultures and communities can survive and flourish within a country. It is in pursuit of this goal that many democratic societies today have introduced measures for recognising and protecting the identity of cultural minority communities living within their territory. The Indian constitution has an elaborate set of provisions for the protection of religious, linguistic and cultural minorities.

राष्ट्रवाद और बहुलवाद

'एक संस्कृति-एक राज्य' के विचार को त्यागते ही यह ज़रूरी हो जाता है कि एसे तरीकों के बारे में सोचा जाए जिसमें विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल-फूल सकें। इस लक्ष्य को पाने के लिए ही अनेक लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपायों को शुरू किया है। भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषायी और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की संरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान हैं।

The kinds of group rights which have been granted in different countries include constitutional protection for the language, cultures and religion, of minority groups and their members. In some cases identified communities also have the right to representation as a group in legislative bodies and other state institutions. Such rights may be justified on the grounds that they provide equal treatment and protection of the law for members of these groups as well as protection for the cultural identity of the group. Different groups need to be granted recognition as a part of the national community. This means that the national identity has to be defined in an inclusive manner which can recognise the importance and unique contribution of all the cultural communities within the state.

विभिन्न देशों में समूहों को जो अधिकार प्रदान किये गये हैं, उनमें शामिल हैं - अल्पसंख्यक समूहों एवं उनके सदस्यों की भाषा, संस्कृति एवं धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षा के अधिकार। कुछ मामलों में इन समूहों को विधायी संस्थाओं और अन्य राजकीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी होता है। इन अधिकारों को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि ये अधिकार इन समूहों के सदस्यों के लिए कानून द्वारा समान व्यवहार एवं सुरक्षा के साथ ही समूह की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान करते हैं। इसके अलावा, इन समूहों को राष्ट्रीय समुदाय के एक अंग के बतौर भी मान्यता देनी होती है। इसका मतलब यह कि राष्ट्रीय पहचान को समावेशी रीति से परिभाषित करना होगा जो राष्ट-राज्य के तमाम सदस्यों की महत्ता और अद्वितीय योगदान को मान्यता दे सके।